



## महाराष्ट्र शासन

आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय  
जुने जकातघर, दुसरा मजला, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400023.

Email.Id aoexcisecom@gmail.com

क्र.: लेखा शाखा / का. क्र. १३ / पर्यवेक्षण शुल्क वसुली / म.भ. / वा. भ. / ५

दि. ०६.०९.२०२२

प्रति,  
सर्व विभागीय उप आयुक्त,  
राज्य उत्पादन शुल्क,

विषय:- सातव्या वेतन आयोगातील महागाई भत्त्याचा सुधारीत दर ३१% आणि ३४ % नूसार, तसेच वाहतूक भत्त्याच्या सुधारीत दरानुसार पर्यवेक्षण शुल्काची पूर्वलक्षी प्रभावाने तसेच आगाऊ वसूली करणेबाबत.

- संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक म भ वा - १३२१ / प्र. क्र. १४ / सेवा - ९, दिनांक ३०.०३.२०२२
- २) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक क्रमांक म भ वा - १३२२ / प्र. क्र. ८ / सेवा - ९, दिनांक १७.०८.२०२२
- ३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक क्रमांक वा ह भ - २०२० / प्र. क्र. ०३ / २०२० / सेवा - ५, दिनांक २०.०४.२०२२


७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर उपरोक्त संदर्भीय क्रमांक १ चे शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०७.२०२१ पासून २८ % वरून ३१ % आणि संदर्भीय क्रमांक २ चे शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०१.२०२२ पासून ३१ % वरून ३४ % करण्यात आलेला आहे तसेच संदर्भीय क्रमांक ३ चे शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या वाहतूक भत्त्याचे दर खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक १.४.२०२२ पासून सुधारण्यात आलेले आहेत.

| राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांचे वेतन स्तर मधील वेतन | वाहतूक भत्त्याचा दर (रु.)                                  |            |
|---|--|------------|
|   | बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूह | इतर ठिकाणे |
| एस - २० व त्यावरील  | रु. ५४००/-   | रु. २७००/- |
| एस - ७ ते एस - १९   | रु. २७००/-   | रु. १३५०/- |
| एस - १ ते एस - ६  | रु. १०००/-   | रु. ६७५/-  |

उपरोक्त एस - १ ते एस - ६ या वेतन स्तरा मधील रु. २४२००/- व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूह मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रु. २७०० व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रु. १३५० इतका वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय राहिल.

तरी महागाई भत्याचा सुधारीत दर ३१% नुसार दिनांक ०१.०७.२०२१ पासून आणि ३४% नूसार दिनांक ०१.०१.२०२२ पासून तसेच वाहतूक भत्याचे सुधारीत दरानुसार दिनांक ०१.०४.२०२२ पासून पर्यवेक्षण शुल्काची वसूली सोबत जोडण्यात येत असलेल्या प्रपत्र १ ते ३ नुसार करण्यात यावी.

{मा. आयुक्तांच्या मान्यतेने}

  
प्र. मुख्य लेखाधिकारी  
राज्य उत्पादन शुल्क  
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

प्रत माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.

- १) कक्ष अधिकारी, गृह विभाग (राउशु-१), महाराष्ट्र शासन, पाचवा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
- २) कक्ष अधिकारी, गृह विभाग (अर्थ-१), महाराष्ट्र शासन, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा. महालेखापाल, महाराष्ट्र मुंबई - १, लेखा परिक्षण विभाग- १, इतर जमा विभाग (ओआरए), जुनी सी. जी. ओ. बिल्डिंग, महर्षि कर्वे रोड, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई - ४०० ०२०
- ४) उप आयुक्त (निरीक्षण), राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
- ५) उप आयुक्त (निरीक्षण), राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
- ६) कार्यालयीन अधीक्षक, कार्य. क्रमांक ७, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

प्रपत्र - १

( दिनांक १.७.२०२१ ते दिनांक ३१.१२.२०२१ )

शहरांचे/गावांचे वर्गीकरण - एक्स वर्ग शहरे (शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घभाभ - 1015 / प्र. क्र. 19 / सेवा-5, दिनांक 16.12.2016 अन्वये)

अ -1 वर्ग शहरे : - मुंबई (ना.स.) :-1. बुहन्मुंबई (महानगरपालिका), 2. मीरा भाईंदर (महानगरपालिका), 3. ठाणे ( महानगरपालिका), 4. नवी मुंबई ( महानगरपालिका), 5. कल्याण डोंबिवली ( महानगरपालिका), 6. उल्हासनगर (महानगरपालिका), 7. अंबरनाथ (नगरपरिषद)--8, कुळगाव-बदलापूर (नगरपरिषद)

अ वर्ग शहरे : - पुणे (ना. स.) :-1. पुणे ( महानगरपालिका), 2. पुणे (छावणी), 3. खडकी (छावणी) 4. पिंपरी-चिंचवड (महानगरपालिका), 5. देहू रोड (छावणी), 6. देहू (सिटी)

नवी मुंबई (सी. टी) {म्हणजे नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील नवी मुंबईचा भाग} येथे विद्यमान ( अ-१) वर्गीकरणानुसार सुधारीत एक्स वर्गीकृत शहरी लागू असणाऱ्या दराने स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे मंजूर करण्यात यावा.

| अ.क्र. | तपशील                                  | पद : उप अधीक्षक   | पद : निरीक्षक  | पद : दुय्यम निरीक्षक  | पद : सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक   | पद : जवान  |
|--------|--|---|--|---|--|--|
|        |  | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 6500-200-10500, वेतन रु. 8500/- (6500 + 10500 = 17000 / 2 = 8500)                     | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 5500-175-9000, वेतन रु. 7250/- (5500 + 9000 = 14500 / 2 = 7250)                                    | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 4500-125-7000, वेतन रु. 5750/- (4500 + 7000 = 11500 / 2 = 5750)                                     | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 3200 - 4900 , वेतन रु. 4050/- (3200 + 4900 = 8100 / 2 = 4050)                                    | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 3050-75-3950-80-4590 + विशेष वेतन रु. 150/- वेतन रु. 3820/- (3050 + 4590 = 7640 / 2 = 3820)      |
|        |  | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB2)-रु. 9300-34800 - ग्रेड वेतन रु. 4400 - वेतन रु. 15810 (8500 x 1.86 = 15810)          | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB2)-रु. 9300-34800 - ग्रेड वेतन रु. 4300 - वेतन रु. 13490 (7250 x 1.86 = 13485, - 10 च्या पटीत 13490) | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB1)-रु. 5200-20200 - ग्रेड वेतन रु. 3500 - वेतन रु. 10700 (5750 x 1.86 = 10695, - 10 च्या पटीत 10700 ) | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB1)-रु. 5200-20200 - ग्रेड वेतन रु. 2000 - वेतन रु. 7540 (4050 x 1.86 = 7533, - 10 च्या पटीत 7540 ) | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB1)-रु. 5200-20200 - ग्रेड वेतन रु. 1900 - वेतन रु. 7110 (3820 x 1.86 = 7105, - 10 च्या पटीत 7110 ) |
|        |  | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-15 (41800 - 132300) वेतन रु. 53000 ( 15810 + 4400 x 2.57 = 51940 च्या पुढील स्तर 53000) | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-14 (38600 - 122800) वेतन रु. 37200 ( 13490 + 4300 x 2.57 = 45720 च्या पुढील स्तर 46100)              | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-12 (32000 - 101600) वेतन रु. 37200 ( 10700 + 3500 x 2.57 = 36494 च्या पुढील स्तर 37200)               | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-7 (21700-69100) वेतन रु. 25200 (7540 + 2000 x 2.57 = 24518 च्या पुढील स्तर 25200)                  | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-6 (19900-63200) वेतन रु. 23800 (7110 + 1900 x 2.57 = 23156 च्या पुढील स्तर 23800)                  |
| 1      | 2                                      | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 1      | सुधारित सरासरी वेतन (2.57 पट)          | 53000   | 46100  | 37200   | 25200  | 23800  |
| 2      | महागाई भत्ता 31 % ( दि १.७.२०२१ पासून) | 16430   | 14291  | 11532   | 7812   | 7378   |
| 3      | शहरी पूरक भत्ता - १) अ-१ वर्ग शहरे     | 300   | 300  | 300   | 200  | 200  |
|        | २) अ वर्ग शहरे                         | 240   | 240  | 240   | 150  | 150  |

|        |  |                            |                       |                                   |   |       |
|--------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------|
| 4      | घरभाडे भत्ता २७ %<br>(दि १.७.२०१९ पासून)                                     | 14310                      | 12447                 | 10044                             | 6804  | 6426  |
| 5      | वाहतूक भत्ता (अ- 1 व अ वर्ग शहरे)  | 1200                       | 400                   | 400                               | 400   | 400   |
| 6      | धुलाई भत्ता  | 0                          | 40                    | 40                                | 20  | 20    |
| 7      | रजा वेतन वर्गणी<br>(वेतन + म.भ. च्या ११%)                                    | 7637                       | 6643                  | 5361                              | 3631  | 3430  |
| 8      | निवृत्ती वेतन वर्गणी<br>(वेतन + महागाई भत्याच्या १४%)<br>(दि.१.४.२०१९ पासून) | 9720                       | 8455                  | 6822                              | 4622  | 4365  |
| 9      | एकुण १) अ- १ वर्ग शहरे   | 102598                     | 88676                 | 71699                             | 48689   | 46019 |
|        | २) अ वर्ग शहरे   | 102538                     | 88616                 | 71639                             | 48639   | 45969 |
| 10     | दैनिक दर<br>1) अ-1 वर्ग शहरे (अ क्र 9 (1) ÷ 30)                              | 3420                       | 2956                  | 2390                              | 1623  | 1534  |
|        | 2) अ वर्ग शहरे (अ क्र 9 (2) ÷ 30)  | 3418                       | 2954                  | 2388                              | 1621  | 1532  |
| अ.क्र. | कालावधी  | महागाई वाढीचा मासिक दर (%) | विद्यमान मूळ वेतन     | प्रोत्साहन भत्याचे दर दरमहा रुपये | टिप:- सदर प्रोत्साहन / आदिवासी भत्ता हा पुढील शासन निर्णय निर्गमित होईपर्यंत विद्यमान / जुने मूळ वेतन विचारात घेऊन त्या प्रमाणे आकारण्यात यावे. |       |
| 1      | १ जानेवारी २०१६ ते ३० जून २०१६   | 0%                         | रु. 3050/- पेक्षा कमी | 100/-                             |   |       |
| 2      | १ जुलै २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६   | 2%                         | रु. 3050/- ते 4589/-  | 200/-                             |   |       |
| 3      | १ जानेवारी २०१७ ते ३० जून २०१७   | 4%                         | रु. 4590/- ते 6499/-  | 300/-                             |   |       |
| 4      | १ जुलै २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७   | 5%                         | रु. 6500/- ते 9999/-  | 400/-                             |   |       |
| 5      | १ जानेवारी २०१८ ते ३० जून २०१८   | 7%                         | रु. 10000/- ते पुढे   | 500/-                             |   |       |
| 6      | १ जुलै २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८   | 9%                         |                       |                                   |   |       |
| 7      | १ जानेवारी २०१९ ते ३० जून २०१९   | 12%                        |                       |                                   |   |       |
| 8      | १ जुलै २०१९ ते ३० जून २०२१   | 17%                        |                       |                                   |   |       |
| 9      | १ जुलै २०२१ ते १ जुलै २०२१ *   | 28%                        |                       |                                   |   |       |
| 10     | १ जुलै २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१   | 31%                        |                       |                                   |   |       |

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. मभवा - १३२१ / प्र. क्र. १४ / सेवा ९, दिनांक ३०.०३.२०२२ अन्वये दि. ०१.०७.२०२१ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्याचा दर ३१ % करण्यात आला आहे.

\* २) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. मभवा - २०१९/प्र. क्र. ३०/सेवा ९, दिनांक ७.१०.२०२१ अन्वये दि. ०१.०७.२०२१ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर १७% वरून २८% करण्यात आला असून सदर वाढीमध्ये दिनांक १.१.२०२०, दिनांक १.७.२०२० आणि दिनांक १.१.२०२१ पासूनच्या महागाई भत्ता वाढीचा समावेश आहे. मात्र दिनांक १.१.२०२० ते दिनांक ३०.०६.२०२१ या कालावधीत महागाई भत्त्याचा दर १७% इतकाच राहिल.

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. घभाभ - १००५/प्र. क्र. १३/सेवा - ५, दि. १७.०६.२००५ चे सहपत्र जोडपत्र - १ नुसार तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. घभाभ - १००९/प्र. क्र. ६७/सेवा - ५, दि. २४.०८.२००९ मधील मुद्दा क्र. ४ अन्वये स्थानिक/शहरी पूरक भत्ता आकारण्यात यावा.

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. घभाभ - १०१५/प्र. क्र. १९/सेवा- ५, दि. १६.१२.२०१६ चे सहपत्र जोडपत्र - एक अन्वये घरभाडे भत्ता मंजूरीसाठी राज्यातील शहरांचे/गावांचे सुधारीत वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. राज्यातील शहरांचे/गावांचे सुधारीत वर्गीकरण सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या महिन्यापासून अमलात येईल.

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घभाभ-२०१९/प्र. क्र. २/सेवा - ५, दि. ०५.०२.२०१९ अन्वये महागाई भत्ता हा २५% टक्याची मर्यादा ओलांडेल त्यावेळी ७ व्या वेतन आयोगातील सुधारीत वेतनश्रेणीच्या आधारे सुधारीत (२७%, १८%, आणि ९%) दराने घरभाडे भत्ता दिनांक १.७.२०२१ पासून मंजूर करण्यात यावा.

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वाहभ - २०१४/प्र. क्र. ५/सेवा-५, दि. ०३.०६.२०१४ नुसार वाहतूक भत्ता आकारण्यात यावा.

७) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अंनियो - २०१९/प्र. क्र. २६६/सेवा - ४, दिनांक १९.०८.२०१९ अन्वये शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, दिनांक १.११.२००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सदर खात्यामध्ये यापुढे राज्य शासन "नियोक्त्याचे अंशदान" म्हणून वर्गणीदाराचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता या रकमेच्या १४ टक्के इतके मासिक अंशदान देईल. शासनाच्या अंशदानामध्ये करण्यात आलेली वाढ दिनांक ०१.०४.२०१९ पासून देय राहिल. माहे एप्रिल २०१९ ते जुलै २०१९ च्या थकबाकी रक्कमेसह माहे ऑगस्ट २०१९ च्या सप्टेंबर २०१९ मध्ये देय वेतन देयकाद्वारे वाढीव शासन अंशदान कपातीची कार्यवाही सुरु करण्यात यावी.

प्रपत्र - २

( दिनांक १.७.२०२१ ते दिनांक ३१.१२.२०२१ )

|  |   |
|--|---|
| शहरांचे / गावांचे वर्गीकरण - वाय वर्ग शहरे (शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. घभाभ - १०१५ / प्र. क्र. १९ / सेवा-५, दिनांक १६.१२.२०१६ अन्वये)   |   |
| अ वर्ग शहरे  | : - नागपूर ( ना.स.) :- १. नागपूर (महानगरपालिका), २. डिगडोह (सिटी), ३. वाडी (सिटी)   |
| ब - १ वर्ग शहरे  | : - नाशिक (ना. स.) :- १. नाशिक (महानगरपालिका), २. एकलहरे (सिटी), ३. देवळाली (छावणी), ४. भगूर (नगर परिषद)  |
| ब - २ वर्ग शहरे  | : - अमरावती (महानगरपालिका) औरंगाबाद ( ना. स. ) :-१. औरंगाबाद (महानगरपालिका) २. औरंगाबाद (छावणी)   |
|  | भिवंडी (ना स) :- १. भिवंडी - निजामपूर (महानगरपालिका), २. खानी (सि टी) सोलापूर (महानगरपालिका)  |
|  | कोल्हापूर (ना. स.) :-१. कोल्हापूर (महानगरपालिका), २. गांधी नगर (सिटी)   |
| क वर्ग शहरे  | :- वसई - विरार शहर महानगरपालिका   |
|  | मालेगाव (नागरी समूह) : १. मालेगाव (महानगरपालिका), २. भायगांव (ओ. जी.), ३. दरेगांव (ओ.जी.), ४. सोयगांव (सी.टी.), ५. द्याने (सी.टी.), ६. माळदे (सी.टी.) |
|  | नांदेड - वाघाळा महानगर पालिका सांगली (नागरी समूह) : १. सांगली मिरज कुपवाड (महानगरपालिका), (२) माधवनगर (सी. टी.)-                                      |
| कामठी नागरी समूहातील कामठी (नगरपालिका) आणि कामठी (छावणी) येथे विद्यमान ब-१ वर्गीकरणानुसार सुधारीत वाय वर्गीकृत शहरी लागू असलेल्या दराने घरभाडे भत्ता आणि स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय ठरेल. |   |

| अ.क्र. | तपशील                                 | पद : उप अधीक्षक   | पद : निरीक्षक  | पद : दुय्यम निरीक्षक   | पद : सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक  | पद : जवान   |
|--------|---------------------------------------|---|--|--|---|---|
|        |                                       | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 6500-200-10500, वेतन रु. 8500/- (6500 + 10500 = 17000 / 2 = 8500)                     | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 5500-175-9000, वेतन रु. 7250/- (5500 + 9000 = 14500 / 2 = 7250)                                    | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 4500-125-7000, वेतन रु. 5750/- (4500 + 7000 = 11500 / 2 = 5750)                                    | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 3200 - 4900, वेतन रु. 4050/- (3200 + 4900 = 8100 / 2 = 4050)                                    | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 3050-75-3950-80-4590 + विशेष वेतन रु. 150/- वेतन रु. 3820/- (3050 + 4590 = 7640 / 2 = 3820)     |
|        |                                       | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB2)-रु. 9300-34800 - ग्रेड वेतन रु. 4400 - वेतन रु. 15810 (8500 x 1.86 = 15810)          | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB2)-रु. 9300-34800 - ग्रेड वेतन रु. 4300 - वेतन रु. 13490 (7250 x 1.86 = 13485, - 10 च्या पटीत 13490) | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB1)-रु. 5200-20200 - ग्रेड वेतन रु. 3500 - वेतन रु. 10700 (5750 x 1.86 = 10695, - 10 च्या पटीत 10700) | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB1)-रु. 5200-20200 - ग्रेड वेतन रु. 2000 - वेतन रु. 7540 (4050 x 1.86 = 7533, - 10 च्या पटीत 7540) | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB1)-रु. 5200-20200 - ग्रेड वेतन रु. 1900 - वेतन रु. 7110 (3820 x 1.86 = 7105, - 10 च्या पटीत 7110) |
|        |                                       | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-15 (41800 - 132300) वेतन रु. 53000 ( 15810 + 4400 x 2.57 = 51940 च्या पुढील स्तर 53000) | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-14 (38600 - 122800) वेतन रु. 37200 ( 13490 + 4300 x 2.57 = 45720 च्या पुढील स्तर 46100)              | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-12 (32000 - 101600) वेतन रु. 37200 ( 10700 + 3500 x 2.57 = 36494 च्या पुढील स्तर 37200)              | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-7 (21700-69100) वेतन रु. 25200 (7540 + 2000 x 2.57 = 24518 च्या पुढील स्तर 25200)                 | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-6 (19900-63200) वेतन रु. 23800 (7110 + 1900 x 2.57 = 23156 च्या पुढील स्तर 23800)                 |
| 1      | 2                                     | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| १      | सुधारित सरासरी वेतन (२.५७ पट)         | 53000   | 46100  | 37200  | 25200   | 23800   |
| २      | महागाई भत्ता 31 % (दि.१.७.२०२१ पासून) | 16430   | 14291  | 11532  | 7812  | 7378  |

|        |  |                            |                       |                                   |   |       |
|--------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------|
| ३      | शहरी पूरक भत्ता- १) अ वर्ग शहरे  | 240                        | 240                   | 240                               | 150   | 150   |
|        | २) ब - १ वर्ग शहरे   | 180                        | 180                   | 180                               | 100   | 100   |
|        | ३) ब - २ वर्ग शहरे   | 120                        | 120                   | 120                               | 65  | 65    |
|        | ४) क व अवर्गीकृत शहरे  | 0                          | 0                     | 0                                 | 0   | 0     |
| ४      | घरभाडे भत्ता १८ % (दि.१.७.२०२१ पासून)  | 9540                       | 8298                  | 6696                              | 4536  | 4284  |
| ५      | वाहतूक भत्ता<br>१) अ वर्ग शहरे   | 1200                       | 400                   | 400                               | 400   | 400   |
|        | २) ब-१, ब-२, क वर्ग शहरे व इतर ठिकाणे  | 600                        | 400                   | 400                               | 400   | 400   |
| ६      | धुलाई भत्ता  | 0                          | 40                    | 40                                | 20  | 20    |
| ७      | रजा वेतन वर्गणी<br>(वेतन + म.भ. च्या ११%)                                    | 7637                       | 6643                  | 5361                              | 3631  | 3430  |
| ८      | निवृत्ती वेतन वर्गणी<br>(वेतन + महागाई भत्याच्या १४%)<br>(दि.१.४.२०१९ पासून) | 9720                       | 8455                  | 6822                              | 4622  | 4365  |
| ९      | एकुण १) अ वर्ग शहरे  | 97768                      | 84467                 | 68291                             | 46371   | 43827 |
|        | २) ब - १ वर्ग शहरे   | 97108                      | 84407                 | 68231                             | 46321   | 43777 |
|        | ३) ब - २ वर्ग शहरे   | 97048                      | 84347                 | 68171                             | 46286   | 43742 |
|        | ४) क व अवर्गीकृत शहरे  | 96928                      | 84227                 | 68051                             | 46221   | 43677 |
| १०     | दैनिक दर<br>१) अ वर्ग शहरे (अ क्र ९ (१) ÷ ३०)                                | 3259                       | 2816                  | 2276                              | 1546  | 1461  |
|        | २) ब-१ वर्ग शहरे (अ क्र ९ (२) ÷ ३०)  | 3237                       | 2814                  | 2274                              | 1544  | 1459  |
|        | ३) ब-२ वर्ग शहरे (अ क्र ९ (३) ÷ ३०)  | 3235                       | 2812                  | 2272                              | 1543  | 1458  |
|        | ४) क वर्ग शहरे व इतर ठिकाणे (अ. क्र. ९ (४) ÷ ३०)                             | 3231                       | 2808                  | 2268                              | 1541  | 1456  |
| अ.क्र. | कालावधी  | महागाई वाढीचा मासिक दर (%) | विद्यमान मूळ वेतन     | प्रोत्साहन भत्याचे दर दरमहा रुपये | टिप:- सदर प्रोत्साहन/ आदिवासी भत्ता हा पुढील शासन निर्णय निर्गमित होईपर्यंत विद्यमान/ जुने मूळ वेतन विचारात घेऊन त्या प्रमाणे आकारण्यात यावे. |       |
| १      | १ जानेवारी २०१६ ते ३० जून २०१६   | 0%                         | रु. 3050/- पेक्षा कमी | 100/-                             |   |       |
| २      | १ जुलै २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६   | 2%                         | रु. 3050/- ते 4589/-  | 200/-                             |   |       |
| ३      | १ जानेवारी २०१७ ते ३० जून २०१७   | 4%                         | रु. 4590/- ते 6499/-  | 300/-                             |   |       |
| ४      | १ जुलै २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७   | 5%                         | रु. 6500/- ते 9999/-  | 400/-                             |   |       |
| ५      | १ जानेवारी २०१८ ते ३० जून २०१८   | 7%                         | रु. 10000/- ते पुढे   | 500/-                             |   |       |
| ६      | १ जुलै २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८   | 9%                         |                       |                                   |   |       |
| ७      | १ जानेवारी २०१९ ते ३० जून २०१९   | 12%                        |                       |                                   |   |       |
| ८      | १ जुलै २०१९ ते ३० जून २०२१   | 17%                        |                       |                                   |   |       |

|    |                                |     |
|----|--------------------------------|-----|
| ९  | १ जुलै २०२१ ते १ जुलै २०२१ *   | 28% |
| १० | १ जुलै २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१ | 31% |

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. मभवा - १३२१ / प्र. क्र. १४ / सेवा ९, दिनांक ३०.०३.२०२२ अन्वये दि.०१.०७.२०२१ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ३१ % करण्यात आला आहे.

\* २) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. मभवा - २०१९ / प्र. क्र. ३० / सेवा ९, दिनांक ७.१०.२०२१ अन्वये दि. ०१.०७.२०२१ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर १७ % वरून २८ % करण्यात आला असून सदर वाढीमध्ये दिनांक १.१.२०२०, दिनांक १.७.२०२० आणि दिनांक १.१.२०२१ पासूनच्या महागाई भत्ता वाढीचा समावेश आहे. मात्र दिनांक १.१.२०२० ते दिनांक ३०.०६.२०२१ या कालावधीत महागाई भत्त्याचा दर १७ % इतकाच राहिल.

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. घभाभ - १००५ / प्र. क्र. १३ / सेवा - ५, दि. १७.०६.२००५ चे सहपत्र जोडपत्र - १ नुसार तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. घभाभ - १००९ / प्र. क्र. ६७ / सेवा - ५, दि. २४.०८.२००९ मधील मुद्दा क्र. ४ अन्वये स्थानिक/ शहरी पूरक भत्ता आकारण्यात यावा.

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. घभाभ - १०१५ / प्र. क्र. १९ / सेवा- ५, दि. १६.१२.२०१६ चे सहपत्र जोडपत्र - एक अन्वये घरभाडे भत्ता मंजूरीसाठी राज्यातील शहरांचे / गावांचे सुधारीत वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. राज्यातील शहरांचे / गावांचे सुधारीत वर्गीकरण सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या महिन्यापासून अमलात येईल.

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घभाभ-२०१९ / प्र. क्र. २ / सेवा - ५, दि. ०५.०२.२०१९ अन्वये महागाई भत्ता हा २५ % टक्याची मर्यादा ओलांडेल त्यावेळी ७ व्या वेतन आयोगातील सुधारीत वेतनश्रेणीच्या आधारे सुधारीत (२७ %, १८ %, आणि ९ %) दराने घरभाडे भत्ता दिनांक ०१.०७.२०२१ पासून मंजूर करण्यात यावा.

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहभ - २०१४ / प्र. क्र. ५ / सेवा-५, दि. ०३.०६.२०१४ नुसार वाहतूक भत्ता आकारण्यात यावा.

७) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अंनियो - २०१९ / प्र. क्र. २६६ / सेवा - ४, दिनांक १९.०८.२०१९ अन्वये शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, दिनांक १.११.२००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सदर खात्यामध्ये यापुढे राज्य शासन "नियोक्त्याचे अंशदान" म्हणून वर्गणीदाराचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता या रकमेच्या १४ टक्के इतके मासिक अंशदान देईल. शासनाच्या अंशदानामध्ये करण्यात आलेली वाढ दिनांक ०१.०४.२०१९ पासून देय राहिल. माहे एप्रिल २०१९ ते जुलै २०१९ च्या थकबाकी रकमेसह माहे ऑगस्ट २०१९ च्या सप्टेंबर २०१९ मध्ये देय वेतन देयकाद्वारे वाढीव शासन अंशदान कपातीची कार्यवाही सुरु करण्यात यावी.

प्रपत्र - ३

( दिनांक १.७.२०२१ ते दिनांक ३१.१२.२०२१ )

शहरांचे / गावांचे वर्गीकरण - **झेड वर्ग शहरे** - राज्यातील जी अन्य शहरे / गावे एक्स किंवा वाय वर्गात समाविष्ट नाहीत, त्यांचा समावेश झेड वर्गात होतो.  
(शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घभाभ - १०१५ / प्र. क्र. १९ / सेवा-५, दिनांक १६.१२.२०१६ अन्वये)

| अ.क्र. | तपशील                                 | पद : उप अधीक्षक   | पद : निरीक्षक  | पद : दुय्यम निरीक्षक   | पद : सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक  | पद : जवान   |
|--------|---------------------------------------|---|--|--|---|---|
|        |                                       | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 6500-200-10500, वेतन रु. 8500/- (6500 + 10500 = 17000 / 2 = 8500)                     | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 5500-175-9000, वेतन रु. 7250/- (5500 + 9000 = 14500 / 2 = 7250)                                    | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 4500-125-7000, वेतन रु. 5750/- (4500 + 7000 = 11500 / 2 = 5750)                                    | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 3200 - 4900 , वेतन रु. 4050/- (3200 + 4900 = 8100 / 2 = 4050)                                   | 1) 5 वा वेतन आयोग - वे. श्रे. रु. 3050-75-3950-80-4590 + विशेष वेतन रु. 150/- वेतन रु. 3820/- (3050 + 4590 = 7640 / 2 = 3820)     |
|        |                                       | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB2)-रु. 9300-34800 - ग्रेड वेतन रु. 4400 - वेतन रु. 15810 (8500 x 1.86 = 15810)          | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB2)-रु. 9300-34800 - ग्रेड वेतन रु. 4300 - वेतन रु. 13490 (7250 x 1.86 = 13485, - 10 च्या पटीत 13490) | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB1)-रु. 5200-20200 - ग्रेड वेतन रु. 3500 - वेतन रु. 10700 (5750 x 1.86 = 10695, - 10 च्या पटीत 10700) | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB1)-रु. 5200-20200 - ग्रेड वेतन रु. 2000 - वेतन रु. 7540 (4050 x 1.86 = 7533, - 10 च्या पटीत 7540) | 2) 6 वा वेतन आयोग - वेतन बँड (PB1)-रु. 5200-20200 - ग्रेड वेतन रु. 1900 - वेतन रु. 7110 (3820 x 1.86 = 7105, - 10 च्या पटीत 7110) |
|        |                                       | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-15 (41800 - 132300) वेतन रु. 53000 ( 15810 + 4400 x 2.57 = 51940 च्या पुढील स्तर 53000) | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-14 (38600 - 122800) वेतन रु. 37200 ( 13490 + 4300 x 2.57 = 45720 च्या पुढील स्तर 46100)              | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-12 (32000 - 101600) वेतन रु. 37200 ( 10700 + 3500 x 2.57 = 36494 च्या पुढील स्तर 37200)              | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-7 (21700-69100) वेतन रु. 25200 (7540 + 2000 x 2.57 = 24518 च्या पुढील स्तर 25200)                 | 3) 7 वा वेतन आयोग - वेतन स्तर S-6 (19900-63200) वेतन रु. 23800 (7110 + 1900 x 2.57 = 23156 च्या पुढील स्तर 23800)                 |
| 1      | 2                                     | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| १      | सुधारित सरासरी वेतन (२.५७ पट)         | 53000   | 46100  | 37200  | 25200   | 23800   |
| २      | महागाई भत्ता 31 % (दि.१.७.२०२१ पासून) | 16430   | 14291  | 11532  | 7812  | 7378  |
| ३      | शहरी पूरक भत्ता - क व अवर्गीकृत शहरे  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |

|        |  |                            |                       |                                   |   |       |
|--------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------|
| ४      | घरभाडे भत्ता ९% ( दि.१.७.२०१९ पासून)   | 4770                       | 4149                  | 3348                              | 2268  | 2142  |
| ५      | वाहतूक भत्ता   | 600                        | 400                   | 400                               | 400   | 400   |
| ६      | धुलाई भत्ता  | 0                          | 40                    | 40                                | 20  | 20    |
| ७      | रजा वेतन वर्गणी<br>(वेतन + म.भ. च्या ११%)                                    | 7637                       | 6643                  | 5361                              | 3631  | 3430  |
| ८      | निवृत्ती वेतन वर्गणी<br>(वेतन + महागाई भत्याच्या १४%)<br>(दि.१.४.२०१९ पासून) | 9720                       | 8455                  | 6822                              | 4622  | 4365  |
| ९      | एकुण क व अवर्गीकृत शहरे  | 92158                      | 80078                 | 64703                             | 43953   | 41535 |
| १०     | दैनिक दर - क वर्ग शहरे<br>(अ क्र ९ ÷ ३०)                                     | 3072                       | 2669                  | 2157                              | 1210  | 1384  |
| अ.क्र. | कालावधी  | महागाई वाढीचा मासिक दर (%) | विद्यमान मूळ वेतन     | प्रोत्साहन भत्याचे दर दरमहा रुपये | टिप:- सदर प्रोत्साहन/ आदिवासी भत्ता हा पुढील शासन निर्णय निर्गमित होईपर्यंत विद्यमान/ जुने मूळ वेतन विचारात घेऊन त्या प्रमाणे आकारण्यात यावे. |       |
| १      | १ जानेवारी २०१६ ते ३० जून २०१६   | 0%                         | रु. 3050/- पेक्षा कमी | 100/-                             |   |       |
| २      | १ जुलै २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६   | 2%                         | रु. 3050/- ते 4589/-  | 200/-                             |   |       |
| ३      | १ जानेवारी २०१७ ते ३० जून २०१७   | 4%                         | रु. 4590/- ते 6499/-  | 300/-                             |   |       |
| ४      | १ जुलै २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७   | 5%                         | रु. 6500/- ते 9999/-  | 400/-                             |   |       |
| ५      | १ जानेवारी २०१८ ते ३० जून २०१८   | 7%                         | रु. 10000/- ते पुढे   | 500/-                             |   |       |
| ६      | १ जुलै २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८   | 9%                         |                       |                                   |   |       |
| ७      | १ जानेवारी २०१९ ते ३० जून २०१९   | 12%                        |                       |                                   |   |       |
| ८      | १ जुलै २०१९ ते ३० जून २०२१   | 17%                        |                       |                                   |   |       |
| ९      | १ जुलै २०२१ ते १ जुलै २०२१ *   | 28%                        |                       |                                   |   |       |
| १०     | १ जुलै २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१   | 31%                        |                       |                                   |   |       |

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. मभवा - १३२१/प्र. क्र. १४/सेवा ९, दिनांक ३०.०३.२०२२ अन्वये दि.०१.०७.२०२१ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्याचा दर ३१% करण्यात आला आहे.

\* २) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. मभवा - २०१९ / प्र. क्र. ३० / सेवा ९, दिनांक ७.१०.२०२१ अन्वये दि. ०१.०७.२०२१ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर १७ % वरून २८ % करण्यात आला असून सदर वाढीमध्ये दिनांक १.१.२०२०, दिनांक १.७.२०२० आणि दिनांक १.१.२०२१ पासूनच्या महागाई भत्ता वाढीचा समावेश आहे. मात्र दिनांक १.१.२०२० ते दिनांक ३०.०६.२०२१ या कालावधीत महागाई भत्त्याचा दर १७ % इतकाच राहिल.

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. घभाभ - १००५ / प्र. क्र. १३ / सेवा - ५, दि. १७.०६.२००५ चे सहपत्र जोडपत्र - १ नुसार तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. घभाभ - १००९ / प्र. क्र. ६७ / सेवा - ५, दि. २४.०८.२००९ मधील मुद्दा क्र. ४ अन्वये स्थानिक/ शहरी पूरक भत्ता आकारण्यात यावा.

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. घभाभ - १०१५ / प्र. क्र. १९ / सेवा- ५, दि. १६.१२.२०१६ चे सहपत्र जोडपत्र - एक अन्वये घरभाडे भत्ता मंजूरीसाठी राज्यातील शहरांचे / गावांचे सुधारीत वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. राज्यातील शहरांचे / गावांचे सुधारीत वर्गीकरण सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या महिन्यापासून अमलात येईल.

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घभाभ-२०१९ / प्र. क्र. २ / सेवा - ५, दि. ०५.०२.२०१९ अन्वये महागाई भत्ता हा २५ % टक्क्याची मर्यादा ओलांडेल त्यावेळी ७ व्या वेतन आयोगातील सुधारीत वेतनश्रेणीच्या आधारे सुधारीत (२७ %, १८ %, आणि ९ %) दराने घरभाडे भत्ता दिनांक १.७.२०२१ पासून मंजूर करण्यात यावा.

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहभ - २०१४ / प्र. क्र. ५ / सेवा-५, दि. ०३.०६.२०१४ नुसार वाहतूक भत्ता आकारण्यात यावा.

७) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अंनियो - २०१९ / प्र. क्र. २६६ / सेवा - ४, दिनांक १९.०८.२०१९ अन्वये शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, दिनांक १.११.२००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सदर खात्यामध्ये यापुढे राज्य शासन "नियोक्त्याचे अंशदान" म्हणून वर्गणीदाराचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता या रकमेच्या १४ टक्के इतके मासिक अंशदान देईल. शासनाच्या अंशदानामध्ये करण्यात आलेली वाढ दिनांक ०१.०४.२०१९ पासून देय राहिल. माहे एप्रिल २०१९ ते जुलै २०१९ च्या थकबाकी रक्कमेसह माहे ऑगस्ट २०१९ च्या सप्टेंबर २०१९ मध्ये देय वेतन देयकाद्वारे वाढीव शासन अंशदान कपातीची कार्यवाही सुरु करण्यात यावी.